प्रकरण संख्या 8/2020 बालु बनाम श्रीमती प्यारी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.04.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सगे भाई बहन हैं तथा प्रतिवादी संख्या 3 उनकी माता व प्रतिवादी संख्या 4 वादीया की स्वर्गीय बहन श्रीमती दाखु की जाईन्दा संतान हैं। वादीया के पिता शोभा जी का देहावसान हो चुका है और उनके समय की पैत्रृक आराजियात ग्राम भोलीखेड़ा में स्थित हैं, जिनका वर्णन वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में किया गया है। उक्त आराजियात में वादीया का जन्म से हक अधिकार होकर 1/5 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/5, 1/5 हिस्सा है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने नाजायज फायदा उठाकर विवादित भूमि का विक्रय हस्तान्तरण एवं खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं, जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः वादीया का वाद स्वीकार कर वाद पत्र के परिशिष्ट ''अ'' वर्णित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादीया को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 08.06.2018 को वादीया का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 05.03.2020 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:18:32 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को बिना तामील कराये तथा बिना सहमति के प्रकरण लोक अदालत में निर्णित कर दिया, जिसकी प्रथम बार जानकारी दिनांक 24.02.2020 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.06.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये तथा आदेशिका दिनांक 08.06.2018 में अंकित किया कि ''पत्रावली लोक अदालत कैम्प लिकी प्रस्तुत। पक्षकारान के समझौता नहीं होने से पत्रावली दिनांक 28.08.2018 को पेश हो।'' उक्त आदेशिका को काट पर बाद में दिनांक 08.06.2018 को ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना किसी सहमति के एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी। उक्त दिनांक के कोई नोटिस अपीलान्ट को जारी नहीं किये गये तथा 25 प्रतिवादीगणों में मात्र 9 प्रतिवादीगण की उपस्थिति में सहमति लिखते हुए निर्णय पारित कर दिया। जब अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो गयी थी तो फिर सहमति से डिक्री किस प्रकार जारी की गयी ? अतः अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि पक्षकारान की सहमति के आधार पर डिक्री जारी की गयी है जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। आदेशिका दिनांक 09.06.2017

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:18:32 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं तथा आदेशिका दिनांक 08.06.2018 जो बाद में काट दी गयी है, उसमें अंकित किया कि **"पत्रावली लोक अदालत कैम्प लिकी प्रस्तुत। पक्षकारान के समझौता नहीं होने से पत्रावली दिनांक 28.08.2018 को पेश हो।"** किन्तु बाद में दिनांक 08.06.2018 की नई आदेशिका लिखकर प्रकरण में समझौता होने का अंकन करते हुए निर्णय पारित कर डिक्री जारी कर दी, जबकि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध जब दिनांक 09.06.2017 एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हो गये थे तो फिर सहमति से डिक्री किस प्रकार जारी की गयी, यह विचारणीय बिन्दु है। इसके अलावा आदेशिका पर मात्र 9 प्रतिवादियों के हस्ताक्षर हैं, जबकि प्रकरण में कुल 25 प्रतिवादीगण हैं। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प में सहमति के आधार पर जो डिक्री जारी की गयी है, वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 4/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट व अन्य प्रतिवादीगणों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर एवं साक्ष्य सबूत प्राप्त कर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.06.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:18:32 IST
Reason: SelfAttested